न्यायालय – सेशन न्यायाधीश, बाडमेर, जिला बाड़मेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	अजिताभ आचार्य, आर.जे.एस. जिला न्यायाधीश संवर्ग
प्रकरण संख्या	:	77/2026 फौजदारी विविध (CIS No. 165/2026)
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	38/2026 पुलिस थाना सदर बाड़मेर, अपराध अंतर्गत धारा 331(3), 305ए भारतीय न्याय संहिता

देवाराम पुत्र अणदाराम, निवासी खींचड़ो की ढ़ाणी, गालाबेरी तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य।

– अभियोगी

जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थित :–

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से	:	श्री धनाराम चौधरी, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री दामोदर कुमार चौधरी, लोक अभियोजक

आदेश दिनांक : 12.03.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.02.2026 को परिवादिया श्रीमती सोनीदेवी पत्नी मांगीलाल ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि वह परिवार सहित पीछले 05 वर्षों से रहती है। उसके पति गुजरात मजदूरी पर गए हुए हैं। वह दिनांक 15.02.2026 को करीब 04 बजे परिवार सहित उसके पीहर मिठुड़ा सिवाना गई थी, दिनांक 17.02.2026 को करीब 01 बजे घर पर वापस आयी तो उसके घर के ताले टूटे हुए थे, उसने घर के अंदर देखा तो उसके रूम (कमरे) के ताले भी टूटे हुए थे, कमरे में देखा तो अलमारी व अटेची खुली पड़ी थी, उसके गहने व रुपए अटेची में रखे थे। अटेची को चैक किया तो उसकी तेगड़ करीब 07 तोला सोना की (तिमणिया), 2 कण्ठी सोने की करीब ढाई–ढाई तोला की थी, दो फूल सोने के करीब वजन आधा तोला, सोने के कानों में पहने वाले झूमर वजन करीब 2 तोला, 35 तोला चांदी के गहने जिनमें पायल व छड़े तथा 1,07,000/– रुपए नहीं मिले जो किसी अज्ञात मुलजिम द्वारा चोरी किए

गए। इत्यादि रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 38/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 331(3), 305ए भारतीय न्याय संहिता 2023 दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 19.02.2026 को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में भेजा गया। जिस पर विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विद्वान् न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या, 1 बाड़मेर के समक्ष जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 पेश किया गया, जिसे विद्वान् न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, बाड़मेर द्वारा दिनांक 25.02.2026 को खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त देवाराम की ओर से यह जमानत आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अधीन पेश किया गया, जिसकी नकल विद्वान् लोक अभियोजक को दिलाई गयी। प्रकरण आपराधिक विविध दर्ज रजिस्टर किया गया। अनुसंधान पत्रावली तलब की गई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

2. प्रार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में झूठा लिप्त किया है। आरोपित अपराध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध से संबंधित है। प्रार्थी दिनांक 19.02.2026 से अभिरक्षा में हैं। प्रार्थी से कोई बरामदगी या अनुसंधान बकाया नहीं हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। विद्वान् लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

3. उभय पक्षकारान् की ओर से दिए गए तर्कों को सुना एवं अनुसंधान पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया।

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के न्यायिक दृष्टांत S.B.Cri. Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त 05 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का अंकन किया गया है, जो निम्न है–

क्र. सं.	मुकदमा संख्या व दिनांक	धारा	पुलिस थाना	नतीजा
1.	420/01.11.2014	341, 382, 327 भा.दं.सं.	कोतवाली, बाड़मेर	पैंडिंग कोर्ट
2.	44/22.01.2015	341, 323, 395 भा.दं.सं.	कोतवाली, बाड़मेर	पैंडिंग कोर्ट
3.	286/25.07.2017	451, 323 भा.दं.सं.	कोतवाली, बाड़मेर	पैंडिंग कोर्ट
4.	174/07.06.2021	147, 148, 327, 307, 436,	सदर, बाड़मेर	पैंडिंग कोर्ट

		149 भा.दं.सं. व 3/25 आर्म्स एक्ट		
5.	139/23.10.2025	331(3), 305ए बी.एन.एस.	रिको क्षेत्र, बाड़मेर	पैंडिंग कोर्ट

5. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 331(3), 305ए भारतीय न्याय संहिता, 2023 का आरोप प्रमाणित माना गया है। आरोपित अपराध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध से संबंधित है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी या अनुसंधान बकाया नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 19.02.2026 से अभिरक्षा में हैं। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 05 आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर लंबित होना बताए गए हैं, परंतु कोई दोषसिद्धि नहीं बतायी गई है। प्रकरण अन्वेषणाधीन है, जिसके अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर किसकी प्रकार की टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. अतः प्रार्थी/अभियुक्त देवाराम पुत्र अणदाराम की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त पचास हजार रुपए राशि की मौतबीर जमानत एवं पचास हजार रुपए का स्वयं का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रकरण के विचारण के मध्य नियमित रूप से उपस्थिति हेतु विद्वान् न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, बाड़मेर के समक्ष उनकी संतुष्टि अनुसार प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें तो प्रार्थी/अभियुक्त को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 38/2026 पुलिस थाना सदर बाड़मेर, जिला बाड़मेर अपराध अंतर्गत धारा 331(3), 305ए भारतीय न्याय संहिता में जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(अजिताभ आचार्य)
सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला बाड़मेर

7. आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजिताभ आचार्य)
सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला बाड़मेर

AMAN SHARMA

EAPA "Authenticate document" Digitally signed by AMAN SHARMA
Date: 2026.03.12 16:51:49 +0000